

स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए जीवन प्रमाण-पत्र कर्मचारी राज्य बीमा निगम (विनियम 107)

स्थायी रूप से निःशक्त व्यक्ति की	ंबीमा संख्या
* प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती तारीख को जीवित है।	पत्नी/पुत्र/पुत्री
हस्ताक्षरकर्ता दावेदार का साफ अक्षरो में नाम	हस्ताक्षर
तारीख	अनुप्रमाणन प्राधिकारी का पदनाम व रबड़ की मोहर⁄मुद्रा

महत्वपूर्ण: कोई व्यक्ति, चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा, अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और उसे 2000/- रु. तक जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।

*यह प्रमाण पत्र (1) सरकार के राजस्व, न्यायिक या मजिस्ट्रेट विभाग के किसी अधिकारी; या (2) नगर पालिका आयुक्त; या (3) कर्मकार प्रतिकर आयुक्त; या (4) ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत की शासकीय मुद्रा लगा करके; या (5) विधायक/सांसद; या (6) केन्द्रीय/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी; (7) क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय बोर्ड/स्थानीय समिति के सदस्य; या (8) शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित अन्य कोई अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

(To be submitted along with claim of June & December)

LIFE CERTIFICATE FOR PERMANENT DISABLEMENT BENEFIT

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION



(Regulation 107)

Insurance No. of Permanently disable perso	n
* Certified that Sh./Smt	w/s/d ofis alive
Name in Block letters of	Signature
Signing Claimant.	
Date	
	Designation with Rubber Stamp/Seal
	of the Attesting Authority

Important: Any person who makes a false statement or misrepresentation for the purpose of obtaining benefit, whether for himself or for some other person, commits an offence punishable with imprisonment for a term which may extend up to six months or with a fine up to Rs. 2,000/- or with both.

*This certificate is to be given by (i) an officer of the Revenue, Judicial or Magisterial Department: or (ii) a Municipal Commissioner: or (iii) a Workmen's Compensation Commissioner: or (iv) the Head of Gram Panchayat under the official seal of Panchayat; or (v) an M.L.A./M.P.; or (vi) A Gazetted Officer of the Central/State Govt. or (vii) a member of the Regional Board/Local Committee of the ESIC: or (viii) any other authority considered appropriate by the Branch Manager concerned.